सर्व शिक्षा अभियान

सब पढ़ें सब बढ़ें

राज्य परियोजना कार्यालय,

उ0प्र0 सभी के लिए शिक्षा परियोजना परिषद, विद्या भवन, निशातगंज, लखनऊ -226 007

प्रेषक

राज्य परियोजना निदेशक
सर्व शिक्षा अभियान
लखनऊ।

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
समस्त जनपद (औरया एवं कानपुर नगर को छोड़कर)
उ0प्र0।

पत्रांकः क0गां0बा0वि0/3–2/ 4562 /2011–12 दिनांक 08 दिसम्बर, 2011

विषयः कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के स्टाफ के अवकाश की व्यवस्था के संबंध में।

महोदय/महोदया,

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत् स्टाफ के अवकाश के संबंध में निम्नवत व्यवस्था की जाती है। यह अवकाश, विद्यालय की सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखकर ही स्वीकृत किये जायेगें :–

1. **अंशकालिक अध्यापक/अध्यापिका के संबंध में :–** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत् अंशकालिक अध्यापक/अध्यापिका को रविवार के अवकाश के अतिरिक्त केवल राजपत्रित अवकाश देय होगा। राजपत्रित्र अवकाशों की सूची संबंधित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रत्येक कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय को उपलब्ध करायेंगे।

2. **पूर्णकालिक अध्यापिका के संबंध में :–** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में पूर्णकालिक अध्यापिका माह में अधिकतम दो साप्ताहिक अवकाश रोटेशन के आधार पर ले सकेंगी, परन्तु रोटेशन इस प्रकार नियोजित किया जाये कि विद्यालय में वार्डेन के अतिरिक्त न्यूनतम दो पूर्णकालिक अध्यापिका विद्यालय में उपस्थित रहें।

3. **वार्डेन :–** कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत् वार्डेन यदि साप्ताहिक अवकाश लेती हैं, तो उनके स्थान पर वरिष्ठ पूर्णकालिक अध्यापिका के पास वार्डेन का प्रभार होगा। इस प्रकार वार्डेन भी रोटेशनवाइज माह में अधिकतम दो साप्ताहिक अवकाश ले सकेंगी।

4. **रसोइया व सहायक रसोइया :–** जहां मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया दोनों तैनात हैं वहां मुख्य रसोईया सहायक रसोईया को प्रभारी बनाकर माह में अधिकतम दो अवकाश रोटेशनवाइज ले सकेंगे तथा दोनों सहायक रसोइया भी बारी–बारी माह में अधिकतम दो अवकाश ले सकते हैं, परन्तु यह ध्यान रखा जाये कि अवकाश का नियोजन इस प्रकार हो कि मॉडल–। प्रकार के विद्यालयों में एक समय में दो रसोइया तथा मॉडल–।। प्रकार के विद्यालयों में एक रसोईया अवश्य उपस्थित हो।

5. **लेखाकार** :– लेखाकार को समस्त कार्य दिवस पर पूरे समय कार्यालय में उपस्थित रहकर वित्तीय संबंधी उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा तथा रविवार एवं राजपत्रित अवकाश देय होगा।

6. **चौकीदार** :– चौकीदार तथा चपरासी माह में अधिकतम दो अवकाश रोटेशन के आधार पर ले सकेंगे परन्तु चौकीदार के अवकाश पर होने की दशा में चपरासी को रात्रि निवास कर चौकीदार के समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन करना होगा तथा चपरासी के अवकाश पर होने की दशा में चौकीदार को चपरासी के समस्त उत्तरदायित्वों का निर्वहन करना होगा।

इसके अतिरिक्त राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक–रा0प0नि0/2323/ 2006–07 दिनांक 03 अक्टूबर, 2006 द्वारा अवकाश के सम्बन्ध में दिये गये निर्देश यथावत रहेंगे। उपर्युक्त के अतिरिक्त लिये गये अवकाश विशिष्ट परिस्थितियों में लिए गये अवकाश अवैतनिक अवकाश की श्रेणी में आयेंगे, जिसकी पूर्व स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा महिला समाख्या द्वारा संचालित विद्यालयों में जिला कार्यक्रम समन्वयक द्वारा स्वीकृति ली जायेगी।

पूर्णकालिक अध्यापिका, अंशकालिका अध्यापक/अध्यापिका, रसोईया एवं सहायक रसोईया, लेखाकार, चौकीदार तथा चपरासी के अवकाशों की स्वीकृति वार्डेन द्वारा की जायेंगी। एवं वार्डेन के अवकाशों की स्वीकृति जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी तथा महिला समाख्या द्वारा संचालित विद्यालयों में महिला समाख्या की जिला कार्यकम समन्वयक द्वारा की जायेगी। उपर्युक्त के संबंध में वार्डेन का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह प्रत्येक माह से पूर्व अवकाशों का रोटेशनवाइज नियोजन कर लें। वार्डेन समस्त स्टाफ के अवकाश का लेखा–जोखा अवकाश रजिस्टर पर रखें।

कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय एक आवासीय विद्यालय है। समस्त अवकाश विद्यालय की सुचारू व्यवस्था को ध्यान में रखकर स्वीकृत किये जायें। अवकाश अधिकार नहीं है और इसे व्यवस्था के हित में ही स्वीकार किया जायेगा।

कृपया उपरोक्तानुसार व्यवस्थाएं सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(पार्थ सारथी सेन शर्मा)
राज्य परियोजना निदेशक

पृ0सं0– क0गां0बा0वि0/ / 4542 /2011–12 तददिनांक

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. जिलाधिकारी, समस्त जनपद, उत्तर प्रदेश।
2. राज्य कार्यक्रम निदेशक, महिला समाख्या, गोमतीनगर, लखनऊ।
3. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक, बेसिक, समस्त मण्डल, उ0प्र0।
4. जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा), समस्त जनपद, उ0प्र0।
5. वार्डेन, समस्त कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, समस्त जनपद, उ0प्र0।

(विष्णु कान्त पाण्डेय)
वरिष्ठ विशेषज्ञ